भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3873
2026/08/11 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए आवंटन

3873. श्रीमती प्रतिमा मण्डल :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए कुल कितना आवंटन हुआ और सरकार ने योजना के दायरे के विस्तार से इतर, मछुआरों की आय, मूल्य संवर्धन और मछली पकड़ने के पश्चात् आवश्यक अवसंरचना के संबंध में क्या वास्तविक सुधार दर्ज किए हैं;
(ख) बढ़ती प्रशुल्क बाधाओं और बदलती वैश्विक व्यापार प्रवृत्तियों के बावजूद समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को पर्याप्त रूप से बढ़ाने हेतु क्या लक्ष्य हैं;
(ग) बढ़ते अंतरराष्ट्रीय संरक्षणवाद के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने और भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है;
(घ) क्या पशुओं में रोगों के बार-बार होने वाले प्रकोप से डेयरी किसानों पर प्रभाव पड़ रहा है और उत्पादकता में कमी आ रही है; और
(ङ) सरकार द्वारा प्रमुख पशुरोगों पर देशव्यापी नियंत्रण को प्राप्त करने की दिशा में कितनी प्रगति की गई है और इन उपायों का किसानों की आय के संबंध में कितना आर्थिक प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन**,** पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**,** भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कुल 20**,**750 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) को कार्यान्वित कर रहा है। PMMSY अन्य बातों के साथ-साथ मात्स्यिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें फिशिंग हार्बर, फिश लैंडिंग केंद्र, मत्स्य बाजार, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, थोक मत्स्य बाजार, हैचरी और ब्रूड बैंक शामिल हैं।
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2018-19 से मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों सहित विभिन्न पात्र संस्थाओं को मात्स्यिकी और जलकृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है। इन योजनाओं (पीएमएमएसवाई और एफआईडीएफ) के तहत अनुमोदित प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों में

शामिल हैं; 184 फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग केंद्र , 775 कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट , 1,394 लाइव फिश वेंडिंग इकाइयां, 6,018 फिश कियोस्क, 117 खुदरा मत्स्य बाजार, 24 थोक मत्स्य बाजार, मत्स्य परिवहन सुविधाओं की 28,489 इकाइयां जैसे आइस बॉक्स वाली 13,718 मोटरसाइकिलें, आइस बॉक्स वाली 8,527 साइकिलें, 4,257 ऑटो-रिक्शा, 1,577 इंसुलेटेड ट्रक और 410 रेफ्रिजरेटेड ट्रक।

बढ़ते टैरिफ अवरोधों और बदलते वैश्विक व्यापार पैटर्न के बावजूद, 2025-26 के दौरान भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात 19.72 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जिसका मूल्य 73,890 करोड़ रुपए (8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था। सीफूड निर्यात में मूल्य वर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी 2013-14 के 2% से बढ़कर 2024-25 में 11% हो गई। समुद्री उत्पादों का निर्यात 128 से अधिक देशों में किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना रहा, जिसके बाद चीन, यूरोपीय संघ (EU), दक्षिण-पूर्व एशिया (SEA), जापान, मध्य पूर्व और अन्य देश रहे।

समुद्री खाद्य निर्यात के सतत विकास के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने वाणिज्य विभाग, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) और निर्यात निरीक्षण परिषद के सहयोग से निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इन पहलों में भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) के संबंध में संवेदनशीलता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, हितधारकों के साथ परामर्श आयोजित करना, मूल्य संवर्धन पर चिंतन शिविरों का आयोजन करना, नए निर्यात बाजारों की पहचान करना तथा व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा बाजारों में भारत की उपस्थिति को बढ़ाना, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहित करना, क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) तथा रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें (RBSMs) आयोजित करना, समुद्री खाद्य निर्यात पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करना तथा विदेशी बाजारों तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ समन्वय करना शामिल है। मत्स्यपालन विभाग द्वारा संभावित साझेदार देशों के दूतावासों एवं उच्चायोगों के साथ सहयोग की संभावनाओं का अन्वेषण करने तथा मात्स्यिकी क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई गोलमेज बैठकें भी आयोजित की गई है।

इसके अतिरिक्त, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार PMMSY के विविध जलकृषि (एक्वाकल्चर) को बढ़ावा दे रहा है। यह सीबास, कोबिया, पोम्पानो, मड क्रैब, गिफ़्ट तिलापिया, ग्रूपर, पेनायस मोनोडोन, स्कैम्पी और सीवीड जैसी उच्च मूल्य वाली प्रजातियों के संवर्धन को प्रोत्साहित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य (सीफूड) की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए नए निर्यात बाजारों की पहचान करना और मौजूदा बाजारों को सुदृढ़ करना है।

मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार मूल्यवर्धन, जैव सुरक्षा और गुणवत्ता अनुपालन को बढ़ाने, स्वचालन और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सहयोग को बढ़ावा देने तथा मात्स्यिकी के सतत विकास को भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे, अवशिष्ट निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करते हुए, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) मुद्दों, निर्यात प्रमाणन आवश्यकताओं और बाजार पहुंच की बाधाओं को हल करने के लिए आयातक देशों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।

(घ) और (ङ): पशुपालन और डेयरी विभाग ने सूचित किया है कि टीकाकरण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन रोगों, जैसे कि खुरपका-मुंहपका रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस (Brucellosis), पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) की रोकथाम के लिए राज्यों/केंद्र शासित

प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साझा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग राज्य की प्राथमिकता वाली गतिविधियों जैसे कि अन्य पशु रोगों के टीकाकरण, आपातकालीन और विदेशी बीमारियों के नियंत्रण,प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने, रोग निगरानी, प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए किया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, FMD, ब्रुसेला, PPR और क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए क्रमशः 147.05 करोड़, 3.19 करोड़, 6.74 करोड़ और 0.26 करोड़ पशुओं को टीका लगाया गया है। लम्पी स्किन रोग के लिए कुल 34.62 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया। किसानों को उनके घर पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 4019 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (MVU) के संचालन हेतु 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता, लागत साझाकरण के आधार पर प्रदान की जाती है। पशुधन बीमारियों के प्रकोपों की संख्या वर्ष 2019 के 132 से घटकर वर्ष 2025 में 40 रह गई है।
